

### **What is the use and necessity of filling of Nomination Form No. 2**

If a member dies without filling in the nomination Form, his family members will face difficulties in obtaining the legal succession certificate from the Court, which may require considerable amount of time when the family is in immediate need of help. Sometimes a wrong person may claim for receiving of Provident Fund Accumulation depriving right person/persons of the deceased Family to receive the Provident fund. And Employees' Deposit linked Insurance benefit.

Similarly for obtaining Pension Benefits on the event of death of the member, nomination Form is required.

### **प्रपत्र 2 भरने की आवश्यकता एवं उपयोग**

—यदि सदस्य नामांकन प्रपत्र नहीं भर पाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, एसी दशा में उसके परिवार को न्यायालय द्वारा उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्राप्त करने में मुश्किल होगी और समय भी अधिक लग सकता, उस मार्मिक वक्त में जबकि उसके परिवार को त्वरित सहायता की आवश्यकता होगी।

—नामांकन न होने की दशा में, भविष्य निधि का दावा फर्जी व्यक्ति भी कर सकता है, और इस स्थिति में पात्र व्यक्ति/उसका परिवार भविष्य निधि एवं कर्मचारी सहबद्ध बीमा योजना के लाभों से वंचित रह जाएगा।

—इस तरह सदस्य के मृत्यु पश्चात् पेंशन लाभ हेतु भी नामांकन पत्र अपेक्षित है।

CHAPTER - VIII  
NOMINATIONS, PAYMENTS AND WITHDRAWALS  
FROM THE FUND

अध्याय - आठ  
नामांकन, निधि से भुगतान एवं धन की वापसी

61. **Nomination**— (1) Each member shall make in his declaration in Form 2, a nomination conferring the right to receive the amount that may stand to his credit in the Fund in the event of his death before the amount standing to his credit has become payable, or where the amount has become payable before payment has been made.

(2) A member may in his nomination distribute the amount that may stand to his credit in the fund amongst his nominees at his own discretion.

(3) If a member has a family at the time of making a nomination, the nomination shall be in favour of one or more persons belonging to his family. Any nomination made by such member in favour of a person not belonging to his family shall be invalid:

<sup>4</sup>[Provided that a fresh nomination shall be made by the member on his marriage and any nomination made before such marriage shall be deemed to be invalid.]

(4) If at the time of making a nomination the member has no family, the nomination may be in favour of any person or persons but if the member subsequently acquires a family, such nomination shall forthwith be deemed to be invalid and the member shall make a fresh nomination in favour of one or more persons belonging to his family.

<sup>1</sup>[(4-A) Where the nomination is wholly or partly in favour of a minor, the member may, for the purposes of this Scheme appoint a major person of his family, as defined in clause (g) of paragraph 2, to be the guardian of the minor nominee in the event of the member predeceasing the nominee and the guardian so appointed:

Provided that where there is no major person in the family, the member may, at his discretion, appoint any other person to be a guardian of the minor nominee.]

(5) A nomination made under sub-paragraph (1) may at any time be modified by a member after giving a written notice of his intention of doing so in Form <sup>2</sup>[2] annexed thereto. If the nominee predeceases the member, the interest of the nominee shall revert to the member who may make a fresh nomination in respect of such interest.

(6) A nomination or its modification shall take effect to the extent that it is valid on the date on which it is received by the Commissioner.



61. नामांकन - (1) प्रत्येक सदस्य फार्म 2 में घोषणा-पत्र देकर निधि के उसके खाते में जमा राशियों के देय होने या भुगतान प्राप्त करने से पूर्व उसकी अपनी मृत्यु हो जाने की दशा में उसके निधि के खाते में संभावित देय जमा राशियों को प्राप्त करने का अधिकार देते हुये किसी को नामांकित करेगा।

(2) सदस्य अपनी इच्छानुसार संभावित देय रकम को नामांकित व्यक्तियों में बांटने के उल्लेख नामांकन पत्र में कर सकेगा।

(3) यदि नामांकन देते समय सदस्य का परिवार है तो वह उसके परिवार के ही एक या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में नामांकन होगा। ऐसे सदस्य द्वारा परिवार के बाहर के व्यक्ति के पक्ष में क्रिया गया नामांकन अमान्य होगा।

[परन्तु सदस्य द्वारा विवाह कर लिये जाने पर नया नामांकन दिया जावेगा तथा विवाह के पहले दिया गया नामांकन अवैध माना जावेगा।]

(4) यदि नामांकन देने के समय सदस्य का कोई परिवार नहीं है तो वह किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में नामांकन दे सकेगा, परन्तु तत्पश्चात् उसका परिवार कायम हो जाता है तो तत्काल ही वह नामांकन अमान्य माना जावेगा तथा वह सदस्य अपने परिवार के ही एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में नया नामांकन देगा।

[(4-ए) यदि नामांकन पूर्ण या आंशिक रूप से अवयस्क के पक्ष में है तो सदस्य इस योजना के उद्देश्य के लिये पैराग्राफ 2 के खण्ड (जी) में परिभाषित परिवार में से किसी वयस्क व्यक्ति को नामांकित व्यक्ति या उसके संरक्षक के पूर्व ही सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में नामांकित अवयस्क व्यक्ति या संरक्षक होने के लिये नियुक्त कर सकेगा।

परन्तु जहाँ सदस्य के परिवार में कोई वयस्क व्यक्ति नहीं है तो सदस्य अपने विवेकानुसार किसी अन्य व्यक्ति को नामांकित अवयस्क व्यक्ति का संरक्षक नियुक्त कर सकेगा।]

(5) उपपैरा (1) के अन्तर्गत दिया नामांकन सदस्य द्वारा फार्म 2 में नया नामांकन देकर कभी भी परिवर्तित क्रिया जा सकेगा। यदि नामांकित व्यक्ति की सदस्य के पूर्व ही मृत्यु हो जावे तो उसके सारे हित सदस्य में समाहित हो जावेंगे तथा सदस्य पुनः नामांकन दे सकेगा।

(6) नामांकन या उसका संशोधन आयुक्त के कार्यालय में प्राप्त होने की तिथि को मान्य होने पर ही प्रभावी होगा।